development of spices with an outlay of Rs. 125 crores is being implemented. The major components of this programme are production and distribution of quality planting materials, area expansion, establishment of demonstration-cum-seed multiplication plots, distribution of mini kits and demonstration of plant protection measures.

Closure of FPS

*210. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Fair Price Shop owners across the country have approached the Civil Supplies authorities for permission to close down their shops owing to poor profit margin; and

(b) if so, how Government propose to meet the situation?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

प्रति व्यक्ति चीनी की उपलब्धता में वृद्धि

*211. **श्री राघव जी:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी के उत्पादन में हुई वृद्धि को देखते हुए सार्वजनिक वितरण के लिए प्रति व्यक्ति चीनी की उपलब्धता में बढ़ोतरी की जाएगी; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) 1994-95 चीनी मौसम के दौरान बढ़े हुए चीनी उत्पादन को देखते हुए, सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए, 1 जनवरी, 1996 से 1991 जनगणना की जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी आवंटित करने का निर्णय लिया है, जबकि पूर्व में यह आवंटन 01.10.1986 तक की प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर किया जाता था। यह राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए चीनी की उपलब्धता की स्थिति को सुधारने में सक्षम बनायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मध्यावधिक मूल्यांकन

*212. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मध्यावधिक मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई विशेष मध्य कालिक मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है। इस मूल्यांकन में बताया गया है कि यह स्कीम आमतौर पर सभी क्षेत्रों तथा राज्यों में आबादी के कमजोर वर्गों के लिए लाभप्रद है। अध्ययन में स्कीम में कुछ कमियों तथा अवरोधों का भी उल्लेख किया गया है। उन्हें उपर्युक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रोजाना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

(ग) और (घ) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लक्ष्यों का प्रस्ताव स्वयं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अतिरिक्त उचित दर की दुकानों, अतिरिक्त राशन कार्डों, जाली राशन कार्डों की समाप्ति तथा अतिरिक्त गोदाम क्षमता सृजित करने/भाड़े पर लेने के मामले में देश स्तर के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। केन्द्रीय सरकार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में हुई प्रगति

की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा कर रही है। केन्द्रीय सरकार, चलती-फिरती उचित दर की दुकानों के रूप में या उचित दर की दुकानों के दरवाजे तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी हेतु इस्तेमाल करने के लिए ट्रक/वैनें खरीदने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दे रही है।

Shortage of Palmolein in Super Bazar

*213. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether there is a shortage of palmolein being supplied through the network of Super Bazar in Delhi;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) by when the supply of palmolein is expected to be normal in Delhi;

(d) whether Super Bazar has defaulted in making payment for the supply of palmolein;

(e) if so, whether any responsibility has been fixed for this lapse on the part of Super Bazar; and

(f) if so, the action taken in the matter and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) to (f) Central Government imported nearly 1.5 lakh tonnes of RBD palmolein oil during the year 1995-96. Allocations of RBD palmolein are made to States/UTs, generally as per their demands subject to availability of stocks. The Union Territory of Delhi has been allocated a total quantity of 2200 tonnes of palmolein during April to October, 1995-96. Out of this, the Government of National Capital Territory (NCT) of Delhi made an allocation of 1580 tonnes of palmolein the Super Bazar. The off-take reported by Super Bazar is 1456 tonnes till November, 1995, which represents 92% of allocations.

The allocations of imported edible oil to States/UTs are supplemental in nature. It is possible that there might have been shortages of supplies in some branches of Super Bazar at times. There has been delays in payments for the supply of RBD palmolein oil by the Super Bazar. However, such delays cannot be termed as default and therefore it is felt that there is no need for any further action in this regard.

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के माध्यम से दावों का धीमी गति से निपटान किया जाना

*214. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के कार्यालयों में कर्मचारी भविष्य निधि का भुगतान न किए जाने के मामलों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। क्योंकि दावों का निपटाना बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विलंबित भुगतान राशि पर ब्याज की दर में वृद्धि करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वसूली अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों की नियुक्ति करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रवर्तन विंग को पहले ही सुदृढ़ कर दिया गया है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के अधिकारियों के कार्यों का प्रत्येक माह प्रबोधन भी किया जाता है।

(ङ) अंशदाताओं को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर मिलने वाले ब्याज की दर में वृद्धि करने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।